बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

अल्कालीन निविदा सूचना
सं० 05/2020–21

1. विभाग का नामः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
2. विज्ञापनदाता का नाम एवं पताः निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।
3. परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि एवं समयः 12–01–2021 को 1.00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समयः 12–01–2021 को 2.00 बजे अपराह्न तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समयः 12–01–2021 को 3.00 बजे अपराह्न तक।

क्रमांक	स्थल/यूनिट	निविदा प्रपत्र की राशि	अग्रधन/सत्यं कार राशि	जमानत राशि	निविदा की अवधि
1	ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल) पर अवस्थित फुड काउन्टर संख्या–1 (दक्षिणी भाग में) का संचालन।	रू० 2000/–	रू० 50,000/– (रू० पचास हजार)	निविदा राशि की वार्षिक राशि की 25% (पचीस प्रतिशत) राशि	01–02–2021 से 31–01–2022 (एक वर्ष)
2	ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल) पर अवस्थित फुड काउन्टर संख्या–2 (उत्तरी भाग में) का संचालन।	रू० 2000/–	–वही–	–वही–	01–02–2021 से 31–01–2022 (एक वर्ष)
3	उपरी तल पर अवस्थित जू कैफेटेरिया (टैरेस–खाली स्थल सहित) का संचालन।	रू० 2000/–	–वही–	–वही–	01–02–2021 से 31–01–2022 (एक वर्ष)

नोटः– सरकार के मार्गदर्शन के आलोक में कोविड–19 संक्रमण के दौरान काउन्टर्स खोलने की अनुमति दी जाएगी।

निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र निदेशक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है एवं वेबसाईट www.forest.bih.nic.in/www.patnazoo.com पर देखा जा सकता है।

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान,
पटना।

भ्रष्टाचारी के दबाव में मत रहें, निगरानी विभाग से मिलकर कहें।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल) पर अवस्थित दो फुड काउन्टरों तथा उपरी तल पर अवस्थित जू कैफेटेरिया के संचालन के लिए बन्दोबस्ती हेतु निविदा शर्तें।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट मयूर रेस्तराँ के ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल) पर **दो फुड काउन्टर्स** (काउन्टर संख्या–1 दक्षिणी फुड काउन्टर तथा काउन्टर संख्या–2 उत्तरी फुड काउन्टर) तथा उपरी तल पर **जू कैफेटेरिया** (टैरेस–खाली स्थल सहित) वर्त्तमान में अवस्थित हैं। ग्राउन्ड फ्लोर पर अवस्थित दोनों फुड काउन्टरों तथा जू कैफेटेरिया को अलग–अलग कुल तीन इकाई (यूनिट) के रूप में विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री, फल, ड्राई फ्रूट्स आदि की बिक्री एवं संचालन के लिए विहित प्रपत्र में मुहरबंद निविदायें निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान पटना के पदनाम से दिनांक 12–01–2021 के 2.00 बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क्रमांक	स्थल / यूनिट	निविदा प्रपत्र की राशि	अग्रधन / सत्यकार राशि	जमानत राशि	निविदा की अवधि
1	ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल) पर अवस्थित फुड काउन्टर संख्या–1 (दक्षिणी भाग में)	रू० 2000 / –	रू० 50,000 / – (रू० पचास हजार)	निविदा राशि की वार्षिक राशि की 25% (पचीस प्रतिशत) राशि	01–02–2021 से 31–01–2022 (एक वर्ष)
2	ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल) पर अवस्थित फुड काउन्टर संख्या–2 (उत्तरी भाग में)	रू० 2000 / –	–वही–	–वही–	01–02–2021 से 31–01–2022 (एक वर्ष)
3	उपरी तल पर अवस्थित जू कैफेटेरिया (टैरेस–खाली स्थल सहित)	रू० 2000 / –	–वही–	–वही–	01–02–2021 से 31–01–2022 (एक वर्ष)

नोटः– सरकार के मार्गदर्शन के आलोक में कोविड–19 संक्रमण के दौरान काउन्टर्स खोलने की अनुमति दी जाएगी।

2. प्राप्त निविदायें दिनांक 12–01–2021 को अपराह्न 3.00 बजे निविदा समिति द्वारा निविदाकर्त्ताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय यदि कोई निविदाकर्त्ता / उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं, तब भी निविदा मान्य समझा जायेगा।

3. निविदा के निर्धारित प्रपत्रों एवं शर्तों की प्रति निदेशक के कार्यालय से रूपये 2000 / – (दो हजार) प्रति की दर से दिनांक 12–01–2021 के 1.00 बजे अपराह्न तक कार्यालय कार्यावधि में प्राप्त किये जा सकते हैं। वैसे व्यक्ति जो निर्धारित प्रपत्रों एवं शर्तों को वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा समर्पित करते हैं, उन्हें निविदा प्रपत्र की राशि के रूप में प्रत्येक यूनिट के लिए रू० 2000 / – (दो हजार) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक / डिमांड ड्राफ्ट **तकनीकी बिड** के साथ संलग्न करना होगा जो निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में एवं पटना में भुगतेय होगा।

क्र०पृ०उ०

4. फुड काउन्टरों का क्षेत्रफल निम्नवत् निर्धारित हैः–

(क) फुड काउन्टर संख्या–1 दक्षिणी भाग का फुड काउन्टर – 1173 वर्गफीट
(ख) फुड काउन्टर संख्या–2 उत्तरी भाग का फुड काउन्टर – 845 वर्गफीट
(ग) उपरी तल पर **जू कैफेटेरिया** (टैरेस–खाली स्थल सहित) – 1371 वर्गफीट

5. काउन्टरों पर निम्नवत् सामग्रियों की बक्री की अनुमति होगीः–
(क) फुड काउन्टर संख्या–1 (नॉर्थ इंडियन डिश– चाय, काफी समेत)
(ख) फुड काउन्टर संख्या–2 (साउथ इंडियन डिश– चाय, कॉफी समेत)
(ग) उपरी तल पर **जू कैफेटेरिया**– सभी प्रकार का ठंडा पेय (मादक पेय छोड़कर) कॉफी, चाय, पेस्ट्री, स्नेक्स, स्वीट्स, फ्रुट्स, ड्राई फ्रुट्स, केक, कुकीज, पकौड़े इत्यादि।

6. निविदाकर्त्ताओं को सलाह दी जाती है कि निविदा समर्पित करने से पूर्व वे स्वंय स्थल का निरीक्षण कर लें।

7. उपर्युक्त तीनों फुड काउन्टरों का संचालन अलग–अलग तीन सफल निविदकर्त्ताओं को आवंटित किया जाएगा। अतः कोई भी ईच्छुक व्यक्ति एक ही काउन्टर अथवा जू कैफेटेरिया के लिए निविदा समर्पित करेंगे। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक निविदा समर्पित करते हैं तो उनके लिए सर्वप्रथम खोले गए निविदा ही मान्य होगा एवं उनके अन्य निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. निचले तल पर स्थित फुड काउन्टरों के सफल निविदाकर्त्ता अपने काउन्टर के सामने के प्लेटफार्म का उपयोग ग्राहकों के बैठने के लिए कर सकते हैं। जू कैफेटेरिया के संचालक उपरी तल पर स्थित खाली स्थान का उपयोग कर सकते हैं। ग्राहकों को बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था सफल निविदाकर्त्ता को स्वंय करनी होगी।

9. निविदाकर्त्ता प्रत्येक निविदा का तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अलग–अलग लिफाफे में समर्पित करेंगे तथा उसपर तकनीकी बिड अथवा वित्तीय बिड जो भी हो, लिखेंगे तथा उसे सीलबंद कर अपना नाम, पता लिखेंगे। पुनः उन दोनों लिफाफों (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) को एक मुख्य बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद कर उसपर भी अपना नाम, पता लिखेंगे और अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निर्धारित समय के अन्दर निविदा बक्सा में डालेंगे। निविदाकर्त्ता मुख्य बड़े लिफाफे में ''फुड काउन्टर संख्या (दक्षिणी भाग के काउन्टर के लिए काउन्टर संख्या–1 तथा उत्तरी भाग के काउन्टर के लिए काउन्टर संख्या–2) अथवा जू कैफेटेरिया, (जिसके लिए भी निविदा समर्पित किया जा रहा हो) के लिये निविदा'' अवश्य अंकित करेंगे। तकनीकी बिड में सफल निविदाकर्त्ताओं का ही वित्तीय बिड खोला जाएगा।

10. निविदाकर्त्ता अपनी तकनीकी बिड के साथ रूपये 50,000/– (रू० पचास हजार) की सत्यंकार राशि जमा करेंगे। यह सत्यंकार राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रूप में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में एवं पटना में भुगतेय होना चाहिये। तकनीकी बिड के साथ सत्यंकार राशि नहीं रहने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

11. निविदाकर्त्ता को पैन/टैन का निबंधन होना आवश्यक है। वे अपनी तकनीकी बिड के साथ **विगत दो वर्षो (वर्ष 2018–19 एवं 2019–20) का आयकर रिटर्न** का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

कृ०पृ०उ०

12. निविदाकर्त्ता को G.S.T. / Service Tax का निबंधन होना चाहिए। निविदाकर्त्ता अपनी तकनीकी बिड के साथ G.S.T. / Service Tax निबंधन की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे तथा अद्यतन वार्षिक सेल्स टैक्स रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

13. निविदाकर्त्ता अपनी तकनीकी बिड के साथ खाद्य संरक्षा विभाग, बिहार सरकार से पंजीकृत संचालित विधिवत निबंधित होटल/ निबंधित रेस्तराँ/ निबंधित फुड काउन्टर का स्वःहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति जमा करेंगे जिसका वार्षिक टर्नओवर कम से कम 5.00 लाख (पाँच लाख) रूपया होना चाहिए।

14. विधिवत निबंधित होटल/ निबंधित रेस्तराँ/ निबंधित फुड काउन्टर चलाने का अनुभव रखने वाले निविदाकर्त्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि किसी फर्म के नाम पर निविदा समर्पित किया जाता है तो फर्म के द्वारा निविदाकर्त्ता को प्राधिकृत किया जाना आवश्यक होगा। निविदाकर्त्ता इस प्राधिकार–पत्र को तकनीकी बिड के साथ मूलरूप में समर्पित करेंगे।

15. निविदाकर्त्ता को **तकनीकी बिड** के साथ निम्नांकित कागजातों को समर्पित करना अनिवार्य होगाः–

(I) निविदा प्रपत्र क्रय करने का प्रमाण (रसीद की छायाप्रति)।

(II) यदि निर्धारित प्रपत्र एवं शर्त वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा समर्पित किया जा रहा है तो निविदा प्रपत्र की राशि के रूप में रू० 2000/– (दो हजार रूपये) का डिमांड ड्राफ्ट।

(III) निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में एवं पटना में भुगतेय सत्यंकार राशि के रूप में रू० 50,000/– (पचास हजार रूपये) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक/डिमांड ड्राफ्ट।

(IV) पैन/टैन के निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। विगत दो वर्षों (वर्ष 2018–19 एवं 2019–20) का आयकर रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। (*)

(V) G.S.T. से निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति। (*)

(VI) निविदाकर्त्ता द्वारा अद्यतन वार्षिक जी०एस०टी० रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। (*)

(VII) ESI & EPF से निबंधन तथा विगत वार्षिक रिटर्न का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति। (*)

(VIII) FSSAI से निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति। (*)

(IX) निविदा समर्पित करने के लिए योग्यता एवं रूपरेखा अर्थात् अनुभव, वर्त्तमान् में कहाँ और किस प्रकार के विधिवत निबंधित होटल / निबंधित रेस्तराँ/ निबंधित फुड काउन्टर के संचालक हैं और कबसे संचालित कर रहे हैं और उनके होटल/ रेस्तराँ/ फुड काउन्टर में कौन–कौन सी सामग्री बेची जा रही है, इत्यादि से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति तथा **जैविक उद्यान में फुड काउन्टर संचालन के संबंध में एक विस्तृत योजना** समर्पित करेंगे।

(X) खाद्य संरक्षा विभाग, बिहार सरकार से पंजीकृत संचालित विधिवत निबंधित होटल/ निबंधित रेस्तराँ/ निबंधित फुड काउन्टर का स्वःहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति जिसका वार्षिक टर्नओवर कम से कम 5.00 लाख (पाँच लाख) रूपया हो।

कृ०पृ०उ०

(XI) फर्म के नाम पर निविदा समर्पित करने की स्थिति में निविदाकर्त्ता के लिए फर्म का प्राधिकार—पत्र की मूलप्रति।

(XII) पहचान—पत्र तथा पता संबंधी प्रमाण—पत्र की स्वः अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(XIII) सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदाकर्त्ता का नाम दर्ज होने/ न होने संबंधी घोषणा—पत्र।

नोटः— (*) *निविदा खोलने के समय स्वःहस्ताक्षरित/अभिप्रमाणित छायाप्रति की मूलप्रति निविदाकर्त्ता को दिखाना होगा। अन्यथा तकनीकी बिड को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।*

16. निविदाकर्त्ता अपने **वित्तीय बिड** में प्रतिमाह उद्यान को दी जाने वाली राशि अंक एवं शब्द दोनों में साफ—साफ लिखेंगे। यदि किसी विशेष परिस्थितिवश निविदाकर्त्ता द्वारा राशि को बदला जाता है तो पूर्व में अंकित राशि को हस्ताक्षर सहित पेन (कलम) से एक बार में काटकर पुनः साफ—साफ अंक एवं शब्द में लिख सकते हैं, परन्तु किसी भी परिस्थिति में ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा। एक से अधिक दर अंकित करने की स्थिति में निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

17. सफल निविदाकर्त्ता को निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर रू० 1000/— (एक हजार रूपये) के नन्—जूडिशियल स्टाम्प पेपर स्वंय लाकर एकरारनामा (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करना होगा।

18. निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर जमानत की राशि के रूप में निविदा राशि की वार्षिक राशि की 25% (पचीस प्रतिशत) राशि जमा करना होगा जो राष्ट्रीयकृत बैंक के एस०टी०डी०आर० अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाण—पत्र के रूप में होगा एवं निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में प्लेज्ड होना चाहिए। जमानत राशि के रूप में बैंक गारंटी मान्य नहीं होगा।

19. एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने, जमानत राशि एवं एक माह का अग्रिम राशि (मासिक रेंट) जमा करने के उपरान्त ही सफल निविदाकर्त्ता को उक्त स्टॉल के संचालन की अनुमति दी जायेगी। यदि सफल निविदाकर्त्ता जमानत की राशि तथा एक माह का अग्रिम राशि निर्धारित समय तक जमा करने एवं एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन/सत्यंकार राशि राज्यसात कर ली जायेगी तथा निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को यह अधिकार होगा कि भविष्य में उद्यान के किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित कर दें।

20. निविदाकर्त्ता को प्रत्येक माह का किराया 10 तारीख तक भुगतान करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रतिमाह 10 तारीख के बाद भुगतान करने पर 3% वृध्यात्मक (incremental) शुल्क के साथ भुगतान करना अनिवार्य होगा। दो माह तक किराया जमा नहीं किए जाने की स्थिति में सफल निविदाकर्त्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि/जमानत राशि को राज्यसात करने तथा निविदाकर्त्ता को कृष्णचिन्हित करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा। इसके अतिरिक्त यदि सफल निविदाकर्त्ता (संचालक) के विरूद्ध सरकार का कोई बकाया रह जाता है तो नीलाम—पत्र मुकदमा दर्ज कर ब्याज सहित राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी। उक्त निर्णय से होने वाले क्षति की जिम्मेवारी सफल निविदाकर्त्ता की होगी।

कृ०पृ०उ०

21. सफल निविदाकर्त्ता, निविदा अवधि (एक वर्ष) के बीच में बिना कोई ठोस कारण के आवंटन रद्द कराने अथवा संचालन करने से इंकार नहीं करेंगे। यदि सफल निविदाकर्त्ता/संचालक द्वारा किसी अन्य कारणवश आवंटन रद्द कराने तथा संचालन करने से इंकार किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में संचालक को कम से कम दो माह का पूर्व/अग्रिम सूचना निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को देना बाध्यकारी होगा। वैसी परिस्थिति में संचालक द्वारा जमा प्रतिभूति राशि/जमानत राशि की विमुक्ति पर निविदा समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा जो अन्तिम होगा तथा संबंधित संचालक को मान्य होगा।

22. आवंटित फुड काउन्टर/जू कैफेटेरिया में बदलाव, मरम्मती, पुनर्निर्माण या अन्य कारणों से संवेदक को एक माह के नोटिस पर आवंटित काउन्टर/ जू कैफेटेरिया को बंद करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा। वैसी परिस्थिति में संचालक को रेंट नहीं देना होगा।

23. सभी वैधानिक करों यथा आयकर, सेवा कर, जी.एस.टी. इत्यादि/देयताओं का भुगतान सफल निविदाकर्त्ता को अलग से अपने स्तर से करना होगा जिसकी जिम्मेवारी निविदाकर्त्ता की होगी।

24. सफल निविदाकर्त्ता फुड काउन्टरों का संचालन उद्यान में दर्शकों के लिए निर्धारित दर्शन अवधि में ही करेंगे। प्रत्येक सोमवार को उद्यान बंद रहता है। अतः सफल निविदाकर्त्ता को प्रत्येक सोमवार को फुड काउन्टर/जू कैफेटेरिया बंद रखना होगा। इसके अतिरिक्ति विशेष परिस्थितिवश यदि उद्यान बंद किया जाता है तो बिना किसी हर्जाना के सफल निविदाकर्त्ता को फुड काउन्टर/जू कैफेटेरिया बंद रखना होगा। सफल निविदाकर्त्ता के कोई भी कर्मचारी रात्रि में फुड काउन्टरों में नहीं रहेंगे। माह अप्रैल से सितम्बर तक प्रातः 7.00 बजे पूर्वाह्न से 7.00 बजे अपराह्न तक तथा माह अक्टूबर से मार्च तक प्रातः 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक फुड काउन्टर/जू कैफेटेरिया के संचालक एवं कर्मी को उद्यान में पहचान–पत्र दिखाकर आने–जाने की अनुमति होगी।

25. सफल निविदाकर्त्ता को फुड काउन्टरों पर किए गए बिजली खपत का भुगतान एच.टी. कनेक्शन के दर के अनुरूप अलग से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक करना अनिवार्य होगा अन्यथा बिजली आपूर्ति बंद कर दी जायेगी जिसके लिए सफल निविदाकर्त्ता स्वंय जिम्मेवार होंगे। बिजली खपत का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक से **केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में** 'साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के नाम में करना होगा।

26. संचालक को ग्राहकों के लिए निःशुल्क स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। इसके लिए वे अपने खर्च पर एक्वागार्ड लगायेंगे तथा शीशे अथवा कागज का बना गिलास का उपयोग करेंगे।

27. संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना एक 'पॉलीथीन निषिद्ध' क्षेत्र हैं। अतः सफल निविदाकर्त्ता, ग्राहकों को सामग्री की आपूर्ति के लिए पॉलीथीन, थर्मोकोल/स्टैरोफोम के प्लेट्स, ग्लास इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। धोने वाले किसी बर्तन, थाली, प्लेट्स का उपयोग नहीं करेंगे। जो भी प्लेट का उपयोग करेंगे वह डिस्पोजिबुल प्लेट (disposable plates) होना चाहिए ताकि किसी भी प्लेट को धोने की आवश्यकता न पड़े।

कृ०पृ०उ०

28. **सफल निविदाकर्त्ता फुड काउन्टर/जू कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कोई भी खाद्य सामग्री उद्यान में नहीं बनायेंगे एवं न ही पकायेंगे और न ही चूल्हा/गैस चूल्हा जलायेंगे। खाद्य सामग्रियाँ केवल बाहर से बनवा/पकवा कर लायेंगे। खाद्य सामग्रियों की बिक्री इको–फ्रेंडली सामानों में करेंगे। बाहर से लाये गये रेडीमेड खाद्य सामग्रियों को इलेक्ट्रिकल ओवेन (electrical oven) में गर्म करने की अनुमति होगी। जूस, काफी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक मशीन का उपयोग कर सकते हैं परन्तु इसकी भी बिक्री कागज के ग्लास में करने की अनुमति होगी।**

29. सफल निविदाकर्त्ता को फुड काउन्टर/जू कैफेटेरिया पर पृथक–पृथक **सूची दर** लगायेंगे जिसमें सामग्री का नाम, उसका आकार एवं मात्रा तथा दर अंकित रहेगा। साथ ही उसपर उद्यान के पदाधिकारियों का मोबाईल नम्बर एवं निदेशक कार्यालय का दूरभाष नम्बर, ई–मेल सहित, ग्राहकों/दर्शकों की सुविधा के लिए प्रदर्शित किया जायेगा। फुड काउटरों पर बिक्री किए जाने वाले सामग्रियों के गुणवत्ता की जाँच किसी क्षण उद्यान के उप निदेशक की अध्यक्षता में गठित टीम के द्वारा किया जा सकता है।

30. संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में मांसाहारी एवं मादकपेय की बिक्री वर्जित है। सफल निविदाकर्त्ता को काउन्टर्स से बेचे जाने वाले सामग्री यथा खाद्य सामग्री, फल, ड्राई फ्रूट्स आदि का दर, सामग्री की मात्रा/आकार, सामग्री का वज़न जो मान्य हो, निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना से अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा। संचालक द्वारा खाद्य सामग्रियों की बिक्री औसत बाजार दर पर की जायेगी जिसके दर का निर्धारण निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा गठित समिति के अनुशंसा पर निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा किया जायेगा। निर्धारित दर एवं आकार/विशिष्टियाँ से भिन्न खाद्य सामग्रियों की बिक्री करते पाये जाने पर निविदा रद्द करने एवं जमानत राशि को राज्यसात करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा।

31. सफल निविदाकर्त्ता को उद्यान में प्रतिबंधित सामग्री यथा बीड़ी, सिगरेट, खैनी, मांस, मछली एवं मदिरा की बिक्री नहीं करनी होगी। संचालक एवं उनके कर्मियों के द्वारा इसकी बिक्री या सेवन करते हुए पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा की जायेगी।

32. सफल निविदाकर्त्ता को कम्पनी के खाद्य पदार्थ, सीलबंद सामग्री केवल एम.आर.पी. पर ही बेचने की अनुमति होगी। **बेचे जाने वाले सामानों के लिए ग्राहकों को रसीद देना अनिवार्य होगा**। सरकार द्वारा प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ की बिक्री नहीं करनी होगी। ग्राहकों को उचित रसीद निर्गत नहीं करने की स्थिति में सुसंगत वैधानिक प्रावधानों के तहत् दंडात्मक कार्रवाई हेतु अनुशंसा करते हुए निविदा को रद्द करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा।

33. फुड काउन्टर/जू कैफेटेरिया अथवा उसके आसपास के परिसर में किसी कम्पनी इत्यादि का प्रचार सामग्री लगाना या बढ़ावा देना वर्जित होगा। काउन्टर पर कार्यरत सफल निविदाकर्त्ता के कर्मियों को शोर–हल्ला करना वर्जित होगा। ग्राहकों के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करना उनका प्रथम कर्त्तव्य होगा। वे उद्यान के नियमों के विरूद्ध कार्य नहीं करेंगे।

34. सफल निविदाकर्त्ता, उन सभी व्यक्तियों का, जो उनके द्वारा काउन्टरों पर कार्य करने के लिए रखे जायेंगे, उनका पूरा पता, फोटो सहित पहचान–पत्र दो प्रतियों में,

निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय में जमा करेंगे तथा **उनकी पहचान के लिए सफल निविदाकर्त्ता अपने स्तर से उन्हें वर्दी देंगे**। बिना वर्दी के कोई कर्मचारी उद्यान के अन्दर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

35. सफल निविदाकर्त्ता को उनके खर्च पर कम से कम चार कूड़ादान (डस्टबिन) रखना अनिवार्य होगा जिसकी सफाई प्रत्येक दिन दर्शक अवधि के उपरान्त संध्या में उद्यान परिसर से करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में एक दिन का कूड़ा, अगले दिन के दर्शक अवधि शुरू होने तक नहीं रखना होगा। कूड़ा–कचरा को फुड काउन्टर की नाली में नहीं फेंकना होगा। सफल निविदाकर्त्ता को काउन्टर परिसर एवं उसके आस–पास के स्थल में खाद्य साम्रगी के बर्तन (जिसमें उद्यान के बाहर से खाद्य सामग्री लाये जाते हैं, फुड काउन्टर में भंडारित किए जाते हैं तथा जिसमें रखकर बेचे जाते हैं) को धोना वर्जित होगा।

36. सफल निविदाकर्त्ता को फुड काउन्टर परिसर/जू कैफेटेरिया परिसर एवं उसके आस–पास के स्थल को साफ–सुथरा (**स्वच्छ एवं स्वस्थ**) तथा **बदबूरहित** रखना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माना के भागी होंगे एवं इसके संबंध में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं निविदाकर्त्ता को मान्य होगा।

37. गंदगी की शिकायत मिलने एवं दोषी पाये जाने पर प्रत्येक दोष के लिए संचालक दण्ड के भागी होंगे। प्रत्येक दोष के लिए दण्ड की राशि न्यूनतम रू० 2000/– (दो हजार रूपये) होगी।

38. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, को अधिकार होगा कि निविदा की शर्तो के उल्लंघन के आरोप में अथवा एक माह के अग्रिम सूचना पर बिना कारण बताये सफल निविदा को रद्द कर सकते हैं।

39. यदि सफल निविदाकर्त्ता द्वारा उपरोक्त शर्तों के किसी कंडिका का उल्लंघन किया जाता है तो वैसी स्थिति में आवश्यक जाँचोपरान्त निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को अधिकार होगा कि वे सफल निविदाकर्त्ता को एक सप्ताह के समय का नोटिस देकर उनके जमानत/प्रतिभूति राशि को राज्यसात कर लें तथा काउन्टर्स को बंद कर दें।

40. निदेशक को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि जब आवश्यकता होगी वे किसी भी खाद्य सामग्री की बिक्री को पूर्णतः या अंशतः अवधि के लिये बंद कर सकेंगे।

41. निदेशक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों को फुड काउन्टरों पर बेचे जा रहे सामग्री की मात्रा, गुणवत्ता, दर, ग्राहकों के साथ व्यवहार, डिस्पोजिबुल प्लेट/ग्लास (disposable plates/glass) की उपयोगिता की स्थिति, परिसर के स्वास्थ एवं स्वच्छता की स्थिति का औचक निरीक्षण करने का पूरा अधिकार होगा।

42. किसी भी विवाद का निपटारा का न्याय क्षेत्र पटना होगा।

43. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, को बिना कारण बताये किसी या सभी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।

निदेशक।

दिनांक 01–02–2021 से 31–01–2022 (एक वर्ष) तक संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पुरानी झील के निकट ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर अवस्थित फुड काउन्टर्स तथा उपरी तल पर अवस्थित जू कैफेटेरिया के संचालन के लिए

तकनीकी बिड

क्रमांक	तकनीकी सूचना	निविदाकर्त्ता द्वारा समर्पित सूचना पृष्ठ संख्या
1	निविदा प्रपत्र क्रय का मनी रसीद की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
2	यदि निर्धारित प्रपत्र एवं शर्त वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा समर्पित किया जा रहा है तो टेन्डर प्रपत्र की राशि के रूप में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के पदनाम में रू० 2000/– (दो हजार) का डिमांड ड्राफ्ट।	
3	निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के पदनाम में रू० 50,000/–(रूपये पचास हजार) के अग्रधन राशि (सत्यंकार राशि) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट।	
4	पैन/टैन के निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। निविदाकर्त्ता विगत दो वर्षों (वर्ष 2018–19 एवं 2019–20) का आयकर रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
5	G.S.T. से निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति।	
6	निविदाकर्त्ता अद्यतन वार्षिक जी.एस.टी. रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
7	ESI & EPF से निबंधन तथा विगत वार्षिक रिटर्न का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति।	
8	FSSAI से निबंधन का स्वःहस्ताक्षरित अभिप्रमाणित प्रति।	
9	कार्य अनुभव। जैविक उद्यान में फुड काउन्टर संचालन के संबंध में एक विस्तृत योजना तथा बेचे जाने वाले खाद्य सामग्रियों की सूची।	
10	खाद्य संरक्षा विभाग, बिहार सरकार से पंजीकृत संचालित विधिवत निबंधित होटल/ निबंधित रेस्तराँ/ निबंधित फुड काउन्टर का स्वःहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति जिसका वार्षिक टर्नओवर कम से कम 5.00 लाख (पाँच लाख) रूपया हो।	
11	फर्म के नाम पर निविदा समर्पित करने की स्थिति में निविदाकर्त्ता के लिए फर्म का प्राधिकार–पत्र की मूलप्रति।	
12	पहचान–पत्र तथा पता संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वः अभिप्रमाणित छायाप्रति।	
13	सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदाकर्त्ता का नाम दर्ज होने/ न होने संबंधी घोषणा–पत्र।	

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर एवं पता

दिनांक 01–02–2021 से 31–01–2022 (एक वर्ष) तक संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पुरानी झील के निकट ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर अवस्थित फुड काउन्टर्स तथा उपरी तल पर अवस्थित जू कैफेटेरिया के संचालन के लिए

<u>वित्तीय बिड</u>

प्रेषक,

नामः–
पिता का नामः–

पत्राचार का पताः–
दूरभाष / मोबाईल संख्या–

सेवा में,

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान,
पटना।

महाशय,

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट अवस्थित

1. **निचला तल पर अवस्थित फुड काउन्टर संख्या–1 (दक्षिणी फुड काउन्टर)**
2. **निचला तल पर अवस्थित फुड काउन्टर संख्या–1 (दक्षिणी फुड काउन्टर)**
3. **उपरी तल पर अवस्थित जू कैफेटेरिया**

(जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

दिनांक 01–02–2021 से 31–01–2022 (एक वर्ष) तक संचालन के लिए मैं रूपये............. (रूपये..) प्रतिमाह का दर अर्पित कर रहा हूँ।

2– उक्त पते पर जो भी पत्राचार किया जाएगा, मुझे स्वीकार्य होगा।

3– यदि मेरा निविदा स्वीकार किया जाता है तो मैं निविदा शर्त की कंडिका 13 के अनुसार पूरे एक वर्ष के रेंट (किराया) की राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) राशि प्रतिभूति / जमानत राशि के रूप में जमा करूंगा।

4– मैंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा / पढ़वाया और समझा है तथा मैं सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

आपका विश्वासी,

घोषणा–पत्र

मैं... पिता का नाम..
.........................ग्राम.................................... पो० .... थाना.......................
.... जिला....................घोषणा करता हूँ कि मैं ....
....(विभाग/कार्यालय का नाम) में ....
से .... अवधि तक के लिए निबंधित होटल / निबंधित रेस्तराँ/
निबंधित फुड काउन्टर का संचालन किया है तथा उस विभाग/कार्यालय द्वारा मुझे
कृष्णचिन्हित किया/नहीं किया गया है।

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर

तिथिः–